किन्तु उक्तानुसार नजरी नक्शें में संशोधन नहीं किया गया। इन्तकाल सं0 628 पेश है। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अपने खाते की दर्ज खसरा नं0 813 की रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा आराजी में से 1.60 बिस्वा यानी 2173 वर्गफीट भूमि का बेचान अप्रार्थी सं0 3 को कर दिया जो जरिये इन्तकाल सं0 752 अप्रार्थी सं0 3 के खाते दर्ज की गई। किन्तु अप्रार्थी सं0 2 के खाते से 1.60 बिस्वा आराजी कम किये जाने के बजाय सिर्फ 1 बिस्वा आराजी कम की जाकर जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 2065 में खाता सं0 नया 58 पुराना 95 खसरा नं0 813 की जगह पर नया नम्बर 2824/813 अंकित कर रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा लिखा गया। नकल इन्तकाल सं0 752 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 2065 पेश की गई। किन्तु नजरी नक्शें में संशोधन नहीं किया गया। चन्दन कंवर के खाते में में भी अप्रार्थी सं0 2 से बंटवारे के बाद सम्वत् 2062 से 2065 में आराजी खाता सं0 108 नया 95 पुराना खसरा नं0 813 की जगह पर नया नम्बर 2823/813 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नं0 816 रकबा 4 बिस्वा लिखा गया। चन्दन कंवर की मृत्यु होने पर जरिये इन्तकाल सं0 963 उनके खाते दर्ज आराजी अप्रार्थी सं0 1 के खाते दर्ज की गई। अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा अपने खाते दर्ज आराजी खसरा नं0 2823/813 की 1 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नं0 816 की रकबा 4 बिस्वा आराजी में से 816 की सम्पूर्ण 4 बिस्वा एवं खसरा नं0 2823/813 की 9 बिस्वा कुल किता 2 की कुल रकबा 13 बिस्वा आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान करने से उक्त आराजी जरिये नामान्तरकरण सं0 1138 क्रेता बलबीर प्रजापति के खाते दर्ज हुई। इन्तकाल की नकल पेश है। बलबीर प्रजापति ने उसके खाते की सम्पूर्ण आराजी का बेचान प्रार्थिया को कर दिया। जिससे उसकी सम्पूर्ण आराजी जरिये इन्तकाल सं0 1153 प्रार्थिया के खाते दर्ज हुई। नकल पेश है। प्रार्थिया ने अपने खाते दर्ज आराजी में से खसरा नं0 2823/813 की 9 बिस्वा आराजी में से 5 बिस्वा आराजी जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15.06.1992 को अप्रार्थी सं0 4 को बेचान कर दिया। जिसका इन्तकाल अभी अप्रार्थी सं0 1 व 4 के नाम पर नहीं खुला है। इसी प्रकार खाता सं0 63 नया 58 पुराना में खसरा नं0 2824/813 में खाते 4 बीघा 1 बिस्वा जमाबन्दी 2066 से 2069 की, खाता सं0 172 नया, पुराना 108 में शेष आराजी खसरा नं0 816 की रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं0 2823/813 की रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा आराजी प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण 1 क्रमांक 2 के खाते दर्ज है व 1 बिस्वा आराजी अप्रार्थिया क्रमांक 3 खाते दर्ज है। किन्तु नक्शें में पूर्व के इन्तकाल सं0 628 अनुसार हुये बंटवारे का अंकन नजरी नक्शें में नहीं होने व शेष आराजी के कई खातेदार हो जाने से अन्य खातेदारान मनमर्जी से आराजी का उपयोग कर रहे है। जिससे प्रार्थिया को अपने हिस्से की आराजी पर काश्त करने उपयोग व उपभोग करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अप्रार्थीगण अविभाजित आराजी का सम्भवतया छोटे-छोटे टुकड़ों में बेचान कर चुके व बेचान करने का प्रयास कर रहे है। प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थीगणों को ऐसा करने का प्रयास किया गया व आराजी का विधिवत विभाजन को कहा तो अप्रार्थीगण दिनांक 10.01.2013 को इन्कार हो गये तथा अप्रार्थीगण प्रार्थिया को अपने हिस्से की आराजी पर से बेदखल करने की धमकी दे रहे है। अतः अप्रार्थीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वाद ताफैसला पाबन्द फरमाया जावें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के फलस्वरूप विद्वान वकील प्रार्थी की इस्तदुआ पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट वकीलप्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई तथा मामला प्रथमदृष्टतया सुविधा एवं संन्तुलन की दृष्टि से प्रार्थिया के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.02.2013 को पाबन्द किया जाकर जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने हेतु आगामी तिथि 06.03.2013 नियत की गई। पत्रावली में अप्रार्थी सं0 2, 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 01.05.2013 को अमल में लायी गई। तहसीलदार झालरापाटन अप्रार्थी सं0 5 फॉर्मल पार्टी है। अनुतोष अपेक्षित नहीं है।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण श्री मंसूर आलम ने अप्रार्थीगण की तरफ से कई अवसर देने के पश्चात भी कोई जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा पत्रावली बहस उभयपक्षकारान में रखी गई दौराने बहस वकील प्रार्थी श्री विजय जैन ने प्रार्थना-पत्र पर अपनी बहस सुनायी बहस प्रार्थीगण सुनी गयी तत्पश्चात वकील अप्रार्थीगण को बहस हेतु अवसर प्रदान किया गया। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र पर बहस करने से इन्कार कर दिया है। बाद बहस प्रार्थीगण पत्रावली वास्तें आदेश रखी गयी।